न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
03/2025	FSS ACT	15.01.2025	28.11.2025

1. श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर

–आवेदक

बनाम

1. जितेन्द्र पुत्र श्री अतर सिंह, उम्र 32 वर्ष, जाति बघेल, मालिक मैसर्स– ताम्भी चिलिंग एण्ड मिल्क प्रोडक्टस, एफ–314, रीको इण्ड0 एरिया ग्रोथ सेन्टर, धौलपुर निवासी मौला का पुरा, धौलपुर

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/51,एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक 28.11.2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) 51 न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 21.05.2024 को दोपहर 01:30 बजे मैसर्सः– ताम्भी चिलिंग एण्ड मिल्क प्रोडक्टस, एफ–314, रीको इण्ड0 एरिया ग्रोथ सेन्टर, धौलपुर पर पहुंचा मौजूद विक्रेता को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे तो उसने अपना नाम जितेन्द्र पुत्र श्री अतर सिंह, उम्र 32 वर्ष, जाति बघेल, मालिक मैसर्स– ताम्भी चिलिंग एण्ड मिल्क प्रोडक्टस, एफ–314, रीको इण्ड0 एरिया ग्रोथ सेन्टर, धौलपुर निवासी मौला का पुरा, धौलपुर बताया एवं लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन दिखाने हेतु कहा तो खाद्य लाईसेंस मौके पर दिखाया जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। निरीक्षण के दौरान निर्माण इकाई में लगभग 350 किलोग्राम पनीर आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। इस पनीर में मिलावट का शक हुआ तो आवेदक ने उक्त पनीर का नमूना वास्ते जांच देने हेतु कहा और विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5(ए) के देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं गवाहन के हस्ताक्षर कराकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। विक्रेता की उक्त 350 किलोग्राम पनीर में से 01 किलो ग्राम पनीर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता जितेन्द्र पुत्र श्री अतर सिंह को रू. 250/– (दो सौ पचास रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 01 किलो ग्राम पनीर को विक्रेता एवं गवाहान को दिखाकर बोतलों में डालकर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड क्रमांक डी 3168 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम , पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान, परिरक्षक फार्मलिन की मात्रा, आदि दर्ज कर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 डी 3168 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर की ओर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को चारों ओर से धागे से बांध कर नियमानुसार चार–चार जगह ऊपर, नीचे, दाये, बांये, सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप पर व आधे खाकी कागज पर आवें, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर नमूना विवरण लिखकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ़कर सुनाकर, समझाकर जितेन्द्र पुत्र श्री अतर सिंह के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 vi की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 vi की एक प्रति के एक खाकी कागज मे लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयक आवेदन के साथ संलग्न है। फार्म संख्या vi की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो फार्म संख्या vi की पुस्त पर अंकित है। सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म संख्या vi की दो प्रतियों के एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर डी.ओ. कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। नमूने के शेष चौथे भाग एवं फार्म संख्या vi की एक प्रति एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/184 दिनांक 06.06.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक राजस्थान भरतपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट एलएस/465/एक्ट/2024/489 दिनांक 30.05.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया पनीर असुरक्षित (Unsafe) प्रकृति का पाया गया तत्पश्चात खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा रैफरल प्रयोगशाला से पुनः जांच बाबत आवेदक के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर नमूने का द्वितीय भाग पुनः जांच बावत रैफरल प्रयोगशाला मैसूर भिजवाया गया जहां से प्राप्त पत्र सर्टिफिकेट संख्या 781एफ/एफएसएसए/2024 दिनांक 29.08.2024 के द्वारा अवमानक (सबस्टेण्डर्ड) पाया गया है। मूल जांच रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त ने सब स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान की समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाये।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया।

अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त ने अपना पक्ष रखते हुए जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अभियुक्त ने अपने जबाव में निवेदन किया है कि प्रकरण में दिनांक 21.05.2024 को श्री पदम सिंह परमार का खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) के पद पर तैनात होना साबित नही। क्योकि पदम सिंह परमार की नियुक्ति सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक एच/पी.एफ.ए./नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी (F.S.O) की नियुक्ति की दिनांक से 02 वर्ष की अवधि के अंदर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 नियम 2.1.3 के खण्ड 2 व 3 के परन्तुक के अधीन विशेषकृत ट्रैनिंग करना अनिवार्य है। प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज नही है कि श्री पदम सिंह परमार ने दिनांक 26.07.2011 से दो वर्ष की अवधि के अंदर अर्थात दिनांक 25.07.2013 तक कोई विशेषकृत ट्रेनिंग की इस कारण श्री पदम सिंह परमार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी (F.S.O) नहीं माना जा सकता है इस कारण श्री पदम सिंह परमार द्वारा दिनांक 21.05.2024 को की गई सैंपल/नमूना लेने की कार्यवाही NUL AND VOID हो जाती है। इस कारण भी प्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्राप किये जाने योग्य है।

यह कि परिवादी द्वारा नमूना किस बर्तन में व किस माध्यम से हिला मिलाकर (होमो जीनियस) एकरूप किया गया। यह तथ्य फर्द रिपोर्ट व इस्तगासा में अंकित नहीं है। इस कारण परिवादी द्वारा धारा 47 एफएसएस एक्ट 2006 की पालना नहीं की है। इस कारण प्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही ड्राप किये जाने योग्य है।

यह कि परिवादी द्वारा 01 किलो पनीर किस बर्तन में खरीदा तथा बर्तन किसने साफ किया इस बात का हवाला भी फर्द रिपोर्ट एवं इस्तगासा में वर्णित नहीं है। इस कारण प्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्राप किये जाने योग्य है।

यह है कि श्री पदम सिंह परमार ने नमूना लेते समय मौके पर जो फर्द रिपोर्ट बनाई उस फर्द रिपोर्ट में wide mouth plastic bottle में नमूना शील करना अंकित नहीं किया है बल्कि नमूना चार साफ सूखी व खाली शीशियों/जारों में बराबर बराबर डाला अंकित है किन्तु जांच रिपोर्ट के आधार पर खाली शीशियां अथवा जार जांचकर्ता ने प्राप्त ही नहीं किया इस कारण यह जांच रिपोर्ट विश्वासनीय नहीं है। इस कारण भी प्रार्थी

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

के विरूद्ध धारा 26(2)(ii) सपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की कार्यवाही ड्राप किये जाने योग्य है।

यह है कि धारा 43 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में कौन–कौनसी प्रयोगशालाएं निरीक्षण करने के लिये राज्य स्तर पर मान्य होगी अर्थात मान्यता प्राप्त होगी उन प्रयोगशालाओ का राज्य स्तर पर राज्य भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उस गजट नोटिफिकेशन में पब्लिक हेल्थ लैबोरेट्री भरतपुर राज0 का नाम नहीं है इस कारण भरतपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी को दण्डित नही किया जा सकता है।

यह है कि इस प्रकरण के अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर डॉ0 जयन्तीलाल मीणा ने जिस फर्म से मैसर्स ताम्भी चिलिंग एण्ड मिल्क प्रोडक्टस F.314 रीको इण्ड0 एरिया ग्रोथ सेन्टर धौलपुर से नमूना लेना बताया है उस फर्म मैसर्स ताम्भी चिलिंग एण्ड मिल्क प्रोडक्टस F.314 रीको इण्ड0 एरिया ग्रोथ सेन्टर धौलपुर के विरूद्ध पृथक से कोई अभियोजन स्वीकृति नही दी है इससे स्पष्ट है अभिहित अधिकारी डॉ0 जयन्तीलाल मीना ने अभियोजन स्वीकृति देने से पूर्व मस्तिष्क का उपयोग न कर भूल की है। इस कारण भी प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही ड्रोप किये जाने योग्य है।

यह है कि जांच हेतु जब नमूना लैब में पहुंचा तब लैब वालों ने जो नमूना प्राप्त किया वह इस प्रकार पाया " SAMPLES IS IN A SEALED AND INTACT WIDE MOUTH PLASTIC BOTTLE" प्राप्त किया जबकि फर्द रिपोर्ट के आधार पर प्लास्टिक के जार अथवा बोतल में कोई नमूना शील करना अंकित नहीं है। इस कारण भी जांच रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है। इस कारण भी प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही ड्रोप किये जाने योग्य है।

यह कि नमूना सैम्पल को अभिहित अधिकृत अधिकारी द्वारा कितने तापमान पर प्रजर्व किया गया था या नहीं परिवाद व फर्द में अंकित नही है। इस कारण नमूना सैम्पल से मानक रिपोर्ट प्राप्त नही की जा सकती है। इस कारण भी प्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्रोप किये जाने योग्य है।

यह कि अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर द्वारा FSSA की धारा 46 (4) की अनुपालना नहीं की है प्रार्थी के पास इस तरह की कोई सूचना अभिहित अधिकारी द्वारा नहीं दी गई है। इसलिये प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण ड्रोप किये जाने योग्य है।

यह है कि इस्तगासा में यह अंकित नहीं है कि खाद्य पदार्थ बिक्री के लिये रखा था या बिक्री करते हुये पाया गया इस कारण प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण ड्रोप किये जाने योग्य है।

यह कि नमूना खरीद बिल पर स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं कराये गये है और न ही स्वतंत्र गवाहन बनाया गया है। अतः कार्यवाही दूषित होने के कारण ड्रोप किये जाने योय है।

यह कि VA पर समय अंकित नहीं है। कार्यवाही सदेंहास्पद है इसलिये ड्रोप किये जाने योग्य है।

न्याय निर्णायक अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

यह कि लैवोरेट्री भरतपुर व रैफरल फूड लैवोरेट्ररी मैसूर दोनों की जांच रिपोर्ट के मात्राकों में आपस में ही विरोधाभास है। इसलिये जांच रिपोर्ट को प्रमाणित नहीं माना जा सकता और ना ही वो विश्वासनीय है कार्यवाही संदेहास्पद होने के कारण ड्रोप किये जाने योग्य है।

यह कि फूड लैवोरेट्री मैसूर ने अपनी ओपीनियन में यह नहीं कहा है कि उक्त खाद्य पदार्थ मानव जीवन के लिये हानिकारक है।

अतः प्रार्थना है कि जवाब स्वीकार कर धारा 26(2)(ii) FSS की कार्यवाही ड्राप किये जाने की कृपा की जावे।

हमने पैरोकार सरकार व अभिभाषक अभियुक्तगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली मे संलग्न **REFERRAL FOOD LABORATORY MYSURE** की **REPORT NO. FT/AQCL/FSSA(781F)/2024 DATE 29-08-2024** का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

"Opinion- The sample "substandard" as defined under section 3(1) (zx) of food safety and standards Act, 2006 as it does not confirm to the stansdards laid down for Paneer under the provisions of food safety and standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 thereof, in that. A) Milk fat falls below the minimum standard limit.

अप्रार्थी द्वारा सबस्टैडर्ड पनीर का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैडर्ड पनीर बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी जितेन्द्र पुत्र श्री अतर सिंह, उम्र 32 वर्ष, जाति बघेल, मालिक मैसर्स- ताम्भी चिलिंग एण्ड मिल्क प्रोडक्टस, एफ-314, रीको इण्ड0 एरिया ग्रोथ सेन्टर, धौलपुर निवासी मौला का पुरा, धौलपुर के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 21000/-रुपये (इक्कीस हजार रू0) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner